



**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
**शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ**

संख्या: 04-अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2011

दिनांक: 10 जनवरी, 2011

**कार्यालय ज्ञाप**

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्त किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियमित तैनाती होने तक, उनके द्वारा वही कार्य देखा जायेगा जो कि वह सहायक अभियन्ता के रूप में पहले से देख रहे हैं। सभी प्रोन्त अधिशासी अभियन्ताओं के नियमित तैनाती आदेश बाद में अलग से निर्गत किये जायेंगे।

क्र0 सं0	नाम (अभियन्ता) (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय / स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव 88020, जौनपुर	सहायक अभियन्ता, केस्को लिमिटेड, कानपुर।
2.	श्री कुल भूषण गुप्ता 88102, अलीगढ़	उप खण्ड अधिकारी—    , विद्युत वितरण खण्ड—  , आगरा।
3.	श्री विनोद कुमार 88141, फर्रुखाबाद	सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण उपखण्ड, बाबूपुरवा, केस्को लिमिटेड, कानपुर।
4.	श्री ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी 88016, बस्ती	सहायक अभियन्ता, केस्को लिमिटेड, कानपुर।
5.	श्री विपिन जैन 88144, मेरठ	सहायक अभियन्ता, केस्को लिमिटेड, कानपुर।
6.	श्री संजय कुमार गर्ग 88138, बुलन्दशहर	सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध), विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस।
7.	श्री सुशील कुमार शर्मा 88045, आगरा	सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षण खण्ड, बॉदा।
8.	श्री बनवारी लाल (अनुजा०) 2001127, आगरा	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड—   , हाथरस।

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्त अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आव्याका का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

4— उपरोक्त प्रोन्त अधिकारियों को उनकी नियमित तैनाती के उपरान्त कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900-प्रशि०-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार नियमित रूप से ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संशाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

*2011/6*  
*Om*  
*संयुक्त प्रबन्ध निदेशक*

संख्या: 04 (1)अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा/मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रान्समिशन का0लि0।
- 4— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5— समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0—407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(राकेश पुष्कर)  
संयुक्त सचिव  
रामेश पुष्कर